न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं भू-अर्जन अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

भू-अर्जन प्र.क्र. 40/अ-82/2014-15
ग्राम पतरापाली (पूर्व) प.ह.नं. 30
तहसील रायगढ़ जिला रायगढ़

महाप्रबंधक,
एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना
घरघोड़ा जिला रायगढ़ (छ.ग.) आवेदक.

विरूध्द

1- टंकधर पि. श्रीपति, बेलमती बे. श्रीपति जाति कोलता
2- उमादेवी वे. कुजबिहारी अनिल, सुजीत पि. कुंजबिहारी बेलमति वे. श्रीपति जाति कोलता
3- गुलापी वे. तिलकराम , जयलाल पिता देवानंद जाति कोलता
4- भगवतिया पि. रवि जाति मिरधा
5- हेमसागर पिता रवि जाति मिरधा
6- निद्रा पि. रवि जाति मिरधा
7- बुधयारिन पि. रवि जाति मिरधा
8- गुलापी वे. तिलकराम, जयलाल पिता देवानंद लक्ष्मण, जोगेन्द, विनोदिनी, कुमोदिनी पि. वैष्टम मोतीराम पि. सत्यानंद दिनबंधू पि. परमानंद, अरूण, वरूण, अंजना पिता त्रिजाथ, द्रौपति वे. त्रिनाथ कुंती, कार्तिकेश्वर पि. गोवर्धन गिरधारी, सालिकराम पि. अवधूत, अर्जुन लाल पिता ऋषिकेश तुला वे. ऋषिकेश जाति कोलता
9- गौतम पिता संतोष रजनी वे. संतोष
10- सुदाम कुमार पि. अशोक कुमार
11- प्रिया सोनी पिता श्याम सोनी जाति सोनार
12- दिलीप पिता चन्द्रभानु, सकरी पिता चन्द्रभानु जाति कोलता
13- हरि, पि. नवधनो कोलता
14- बिघाधर पिता चन्द्रभानु बिलास पिता चन्द्रभानु
15- मिनकेतन पिता चन्द्रभानु, उत्तरा पिता चन्द्रभानु जाति कोलता
16- मुन्नालाल टिकेनोनी पिता चन्द्रभानु जाति कोलता
17- कलपराम पि. नवधनो जाति कोलता
18- भगवती पति सन्तराम कोल्ता
19- संतराम पि0 मुकुन्दी, तेजमती बे0 सुकदेव, आकाश पि0 सुकदेव,वेदप्रकाश पि0 सुकदेव जाति घसिया
20- आत्माराम, नरेश, पि. शिवप्रसाद अहिल्या, संध्या पि. शिप्रसाद, कमला वे. शिवप्रसाद जाति कोलता
21- राजकुमारी जौजे घनश्याम जाति गोड़
22- चमारीन बेवा अंजोर, अजीत सुरेश, राधा पिता मारूलाल रेबारी बेवा मारूलाल, सुकांती बेवा संतोष, विनय, ना. विनीता पिता संतोष, पा. मां. सुकांती सादमती, प्रियावती, पार्वती, गोमती पिता अंजोर जाति गांड़ा
23- सुरेश पि. मारूलाल चमारीन वे. अंजोर जाति गाड़ा
24- राधा पि. मारूलाल चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा
25- रैबारी वे. मारूलाल चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा
26- विनय पि. संतोष चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा
27- ना. बिनिता पि. संतोष सुकांति वे. संतोष पा.मा. सुकांति वे. संतोष, चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा
28- पार्वती पि. अंजोर, चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा

29- अजीत पि. मारूलाल चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा

30- प्रियाबाई पि. अंजोर चमरीन वे. अंजोर जाति गाड़ा

31- सादमति पि. अंजोर चमरीन बे. अंजोर जाति गाड़ा

32- गोमती पि. अंजोर चमरीन बे. अंजोर जाति गाड़ा

33- सुधीर हरामती कुन्ती पिता ननकी कवंर

34- फुलमती धनमती शांती विमला पिता जानकी

35- गुरबारी पिता भोगसिंह जाति कंवर

36- गंगाराम पिता बासुदेव कोलता

37- कान्हूचरण, जगसेनी पिता तालेश्वर जाति कोलता

38- फिरतू पि. मेहत्रर गाड़ा

39- नरेन्द्र, राजन्द्र, शैलेन्द्र, समीर पि0 देवेन्द्र, पुष्पा, कविता, मुजू पिता देवेन्द्र, जिगनेश, जन्नेश, महेश माता स्नेहलता पि0 चण्डी प्रसाद, सुधीर, सुरेन्द्र पि0 राघवेन्द्र जाति ब्राम्हण

40- गोपीनाथ पि. रामेश्वर, सुरेन्द्र कुमार पि. रामेश्वर, श्रीमति प्रतिमा देवी बे. रामेश्वर जाति बानी

41- दुखीराम पिता बुधू गोड़

42- थिरोबाई पिता संतोष

43- सागर, विशाल पिता कन्हैया, कान्ति बेवा0 कन्हैया, गजानंद, बंसत यशोदा पिता मुकुतराम जाति तेली

44- [illegible] जाति कंवर

45- बोधराम पि. ललित जाति कोलता

46- नन्दकिशोर पि. ललित जाति कोलता

47- इन्दुमति बेवा ललित जाति कोलता

48- जगदीशप्रसाद पि. तोषराम जाति सोनार

49- रतन पि. पहारसिंह, जेठु पि0 पितरू, पुसमति पि0 पितरू जाति कंवर

50- अमलसाय पि. जगदीश जाति अघरिया ------ अनावेदकगण.

अवार्ड आदेश

(दिनांक 23-01-2017)

यह प्रकरण महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा जिला रायगढ़ के पत्र क्र. REF No 5073/TLCMP/pvt/05/08/15 **पतरापाली (पूर्व)** दिनांक 12.8.2015 के अनुसार **ग्राम- पतरापाली (पूर्व)** प.ह.नं. 36 रा.नि.मं. व तह.-**रायगढ़** जिला **रायगढ़** के निजी भूमि कुल ख.नं. 65 कुल रकबा 6.403 हे. का रेल लाईन निर्माण के लिये अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त होने पर प्रारंभ किया गया।

(1) उपरोक्त भू-अर्जन प्रस्ताव के संदर्भ में पुनर्वास योजना तैयार कर महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माइनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना का अनुमोदन प्रचलित नियमों के तारतम्य में आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर के पत्र क्रमांक 3062/राजस्व/ भू-अर्जन/2015 बिलासपुर दिनांक 25.7.2015 अनुसार प्रस्तावित पुनर्वास योजना में निम्नांकित शर्त समाहित कर पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया गया है :-

1. कलेक्टर द्वारा मुआवजा का निर्धारण भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत किया जावेगा।
2. शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जावेगा।
3. भूमि अर्जन के बाद स्थल पर जिस कृषक की इतनी कम भूमि शेष बचती हो कि उस पर लाभदायक कृषि संभव न हो, तो शेष भूमि का भी अधिग्रहण किया जावेगा।
4. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिये वृक्षारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण हेतु कार्य योजना दो माह के भीतर तैयार किया जावे, ताकि आगामी बरसात के पूर्व वृक्षारोपण का कार्य किया जा सके।

5. पुनर्वास पैकेज एवं प्रतिकर के पूर्ण भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. मकान विस्थापितों के लिऐ वैकल्पिक व्यवस्था की जावे।
7. कलेक्टर रायगढ़ भू-अर्जन कार्य का समुचित पर्यवेक्षण करेंगे, एवं प्रत्येक तीन माह में अपना प्रगति प्रतिवेदन राज्य शासन को एवं इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
8. एनटीपीसी लिमिटेड तलाईपाली तहसील घरघोड़ा जिला रायगढ़ कोल माईस ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य गुणवत्ता के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जावे।
9. प्रभावित परिवारों को रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से आजिविका ट्रेड में प्रशिक्षण व्यवस्था किया जावेगा। पश्चात सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्राथमिकता में प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से रोजगार/ जीविका उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा।
10. जिले के निःशक्तजनों के लिए आजीविका प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार हेतु विशेष प्रयास करना होगा।
11. नवीन भू-अर्जन अधिनियम 2013 के दूसरी अनुसूची धारा 31(1) 38(1) और धारा 105 (3) के प्रावधानों का भी पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2) उपरोक्त अनुक्रम में महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना से ग्राम विजयपुर के प्रस्तावित निम्नांकित भूमि के अधिग्रहण किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के संदर्भ में छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम की धारा-11(1) के अधीन अधिसूचना का प्रकाशन निम्नानुसार कराया गया ।

अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण :-

खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)
73/1	0.190	87/5	0.012	503/4	0.020	541/3	0.061
72/2	0.053	80/6	0.016	503/5	0.010	541/7	0.049
75/2	0.173	87/3	0.038	503/6	0.010	647/10 d	0.041
75/5	0.020	80/4	0.016	503/7	0.020	547/10 [k	0.101
75/17	0.020	87/6	0.020	503/8	0.060	549	0.162
75/18	0.020	80/7	0.016	503/13	0.011	551/1	1.133
75/19	0.017	80/3	0.031	503/9	0.020	558/1	0.405
548	0.684	80/2	0.020	503/10	0.018	558/2	0.291
76	0.202	81	0.020	503/11	0.010	558/3	0.080
78/2	0.008	88/1	0.012	503/12	0.010	556	0.081
79/1	0.186	568/1	0.049	503/14	0.024	572	0.008
79/5	0.020	75/7	0.016	541/1	0.061	568/2	0.162
87/4	0.020	502	0.085	541/9	0.222	568/3	0.072
80/5	0.016	503/1	0.140	541/14	0.014	568/4	0.080
87/1	0.042	503/2	0.080	541/12	0.020	567	0.351
80/1	0.031	503/3	0.150	541/6	0.024	566/1	0.277
565	0.045						
योग- कुल ख.नं. 65 कुल रकबा 6.403 हे.							

अधिनियम की धारा-11 (1) के प्रकाशन का विवरण निम्नानुसार है:-

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 02.10.2015 भाग-1 पृ.क्र. 1521
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. कुशाग्रता में दिनांक. 16.10.2015
   2. हरिभूमि में दिनांक 17.10.2015
3. ग्राम पतरापाली में मुनादी के माध्यम से दिनांक 08.11.2015

(3) प्रकरण में धारा-11(1) के अधिसूचना प्रकाशन पश्चात् किसी भी हितबद्व पक्षकार अथवा अभिभा''ाक या अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई आपत्ति/दावा प्रस्तुत नही किया गया। फलस्वरूप अधिनियम की धारा-15 (2) के तहत सुनवाई की आवश्यकता नही हुई।

(4) अतएव प्रकरण में अधिनियम की धारा-19 की घोशणा के प्रकाशन की कार्यवाही निम्नानुसार कराया गया :-

1. छ.ग. राजपत्र में दिनांक 29.04.2016 को भाग-1 पृ.क्र. 724,725
2. स्थानीय समाचार पत्र 1. जनकर्म में दिनाक. 05.04.2016
   2. पत्रिका में दिनाक. 03.04.2016
3. स्थानीय तौर पर ग्राम में मुनादी के माध्यम से दिनांक 27.4.2016

प्रकरण में धारा 19 की घोशणा के प्रकाशन उपरान्त कोई भी दावा/आपत्ति प्राप्त नही हुआ।

(5) प्रकरण में अधिनियम की धारा-21 की सूचना दिनांक 05.5.2016 को जारी कर भू-स्वामियों को सुनवाई हेतु दिनांक 13.6.2016 को आहूत किया गया। किन्तु किसी भी भू-स्वामी के द्वारा कोई दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया। फलस्वरूप प्रकरण में आगे की कार्यवाही करते हुए प्रस्तावित भूमि तथा उस पर स्थित परिसंपत्ति के संबंध में आवेदक निकाय एवं तहसीलदार रायगढ़ से संयुक्त स्थल जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के साथ प्राप्त किया गया।

1. आपत्तिकर्ता श्री जयलाल पिता देवानंद जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 75/2 का मौका जांच कर वृक्षों को मुआवजा पत्रक में दर्ज करने एवं मुआवजा राशि प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रयगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री जयलाल पिता देवानंद जाति कोलता के भूमि खसरा नं0 75/2 रकबा 0.173 हे0 अधिग्रहित भूमि का मौका जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया मौके पर 5 मौहा, 2 केकट, 1 सलिहा पेड़ स्थित होना पाया गया ।तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन से सहमत उक्त पेड का गणना पत्र में तैयार किया गया है।

2. आपत्तिकर्ता श्री गंगाराम पिता वासुदेव द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 547/10 क का मौका जांच कर वृक्षों को मुआवजा पत्रक में दर्ज करने एवं मुआवजा राशि प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री गंगाराम पिता वासुदेव के भूमि खसरा नं0 547/10 क रकबा 0.041हे0 अधिग्रहित भूमि का मौका जांच प्रतिवेदन तैयार किया गया मौके पर उक्त अधिग्रहित भूमि में पेड़ नहीं पाया गया ।

3. आपत्तिकर्ता श्री भगवतिया पिता रवि जाति मिरधा द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 75/5 का मौका जांच कर वृक्षों को मुआवजा पत्रक में दर्ज करने एवं मुआवजा राशि प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री भगवतिया पिता रवि जाति मिरधा के भूमि खसरा नं0 75/5 रकबा 0.020 हे0 अधिग्रहित भूमि का मौका में पंचनामा सहित प्रतिवेदन तैयार किया गया मौके पर अधिग्रहित भूमि में पेड़ स्थित है जो की पत्रक में पूर्व से दर्ज है।

4. आपत्तिकर्ता श्री हेमसागर पिता रवि जाति मिरधा द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 75/17 का मौका जांच कर वृक्षों को मुआवजा पत्रक में दर्ज करने एवं मुआवजा राशि प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री हेमसागर पिता रवि जाति मिरधा के भूमि खसरा नं0 75/17 रकबा 0.020 हे0 भूमि अधिग्रहित भूमि का मौका पंचनामा सहित प्रतिवेदन तैयार किया गया मौके पर उक्त भूमि में नीम 2 पेड़ स्थित है जो की गणना पत्रक में दर्ज किया गया है।

5. आपत्तिकर्ता श्री गौतम पिता संतोष द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 76 का मौका जांच कर वृक्षों को मुआवजा पत्रक में दर्ज करने एवं मुआवजा राशि प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री गौतम पिता संतोष के भूमि खसरा नं0 76 रकबा 0.202 हे0 अधिग्रहित भूमि का मौका में आवेदक के उपस्थिति में पंचनामा तैयार किया गया मौके पर उक्त भूमि में पत्रक में दर्ज पेड़ के अतिरिक्त बेहरा 2 सरसेंवा 1 पेड़ स्थित होना पाया गया। तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत पेड का गणना पत्रक में तैयार किया गया है।

6. आपत्तिकर्ता श्रीमती इंदुमति पति ललित द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 568/4 का रेलवे लाईन के भू-अर्जन के पश्चात् शेष बची भूमि का अर्जन किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्रीमती इंदुमति पति ललित जाति कोलता ख0 नं0 568/4 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त। उक्त भूमि का कुल रकबा 0.113 हे.भूमि है, जिसमें से रकबा 0.080 हे. भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है। शेष बची भूमि रकबा 0.033 हे. (0.08 डिसमिल) कृषि कार्य की उपयोगी नहीं रह जाने से शेष रकबा 0.033 हे. को पूरक भू-अर्जन में शामिल किया जाना उचित होगा। तहसीलदार रायगढ़ के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये आवेदक की ि"ा रकबा 0.033 हे. भूमि को पूरक भू-अर्जन में सामिल किया जावे।

7. आपत्तिकर्ता श्री नंदकिशोर पिता ललित द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 568/4 का रेलवे लाईन के भू-अर्जन के पश्चात् शेष बची भूमि का अर्जन किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 02 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री नंदकिशोर पिता ललित ख0 नं0 568/3 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त भूमि का कुल रकबा 0.162 हे. है, जिसमें से रकबा 0.072 हे. अर्जन हेतु प्रस्तावित है, शेष बची भूमि रकबा 0.090 हे. (0.22 डिसमिल) के संबंध में रेलवे लाईन के निर्माण के पश्चात् निर्णय लिया जाना उचित होगा। तहसीलदार रायगढ़ के प्रतिवेदन में आवेदक के शेष भूमि रकबा 0.090 हे. कृ"ा योग्य होने के कारण अधिग्रहित किया जाना अवश्यक नहीं है।

8. आपत्तिकर्ता श्री हरि पिता नवधानो जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 568/4 का रेलवे लाईन के भू-अर्जन के पश्चात् शेष बची भूमि का अर्जन किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के ख0 नं0 87/7 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदक हरि पिता नवधानो जाति कोलता के नाम पर दर्ज भूमि खसरा नं. 87/1 रकबा 0.042 हे. अर्जन हेतु प्रस्तावित है। खसरा नं. 87/7 रकबा 0.012 हे. आवेदक के नाम पर दर्ज है, ख.नं. 87/7 प्रस्तावित रेलवे लाईन के किनारे स्थित होने से कृषि कार्य करने के लिए उपयोगी नहीं रहेगी। अतः उक्त ख.नं. 87/7 को अर्जन में शामिल किया जाना उचित होगा।

तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन से सहमत उक्त खसरा नं. 87/7 रकबा 0.012 हे. भूमि को पूरक भू-अर्जन में सामिल किया जावे।

9. आपत्तिकर्ता श्री मोतीराम पिता सत्यानंद जाति कोलता द्वारा आपत्ति की गई की ख0नं0 548 के खाता में मौके पर कब्जे के अनुसार मुआवजा राशि प्रदाय किया जाये।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री मोतीराम पिता सत्यानंद जाति कोलता ख0 नं0 548 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त भूमि खसरा नं. 548 के खाता/ रिकार्ड में कई खातेदारों के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है अतः एक खाता होने के कारण मौके में कब्जा अनुसार मुआवजा की राशि वितरण किया जाना उचित नहीं होगा। जांच प्रतिवेदन से सहमत उक्त खाते के अनुसार मुआवजा तैयार किया जावे।

10. आपत्तिकर्ता श्री गिरधारी पिता अवधूत वगै. जाति कोलता ख नं0 548 द्वारा आपत्ति की गई है कि वंश वृक्ष अनुसार 1/4 के अनुपात में मुआवजा राशि प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री गिरधारी पिता अवधूत वगै. जाति कोलता ख0 नं0 548 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त। उक्त भूमि खसरा नं. 548 के खाता / रिकार्ड में कई खातेदारों के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। अतः एक खाता होने के कारण वंश वृक्ष अनुसार 1/4 के अनुपात में मुआवजा राशि प्रदाय किया जाना उचित नहीं होगा। जांच प्रतिवेदन से सहमत उक्त खाते के अनुसार मुआवजा तैयार किया जावे।

11. आपत्तिकर्ता श्री सुधीर पिता ननकी जाति कंवर ख नं0 541/1 द्वारा आपत्ति की गई है कि सह खातेदार कुन्ती पिता ननकी जाति कंवर की मृत्यु होने से उसके नाम को खाता से हटाये जाने हेतु

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 02 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री सुधीर पिता ननकी जाति कंवर ख नं0 541/1 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, मृतक सहखातेदार कुन्ती पिता ननकी जाति कंवर भोन्दुपाली, उड़िसा में निवास करती थी, जिनके वारिसानों की जानकारी नहीं होने से उक्त संबंध में नामन्तरण /हटाये जाने का निराकरण न्यायालय में किया जाना उचित होगा। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

12. आपत्तिकर्ता श्रीमती सेवती पति संतराम जाति कोलता ख नं0 80/2 द्वारा आपत्ति की गई है कि खातेदार भगवती पति संतराम जाति कोलता के मृत्यु होने से उसके नाम को विलोपित कर आवेदक का नाम दर्ज किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्रीमती सेवती पति संतराम जाति कोलता ख नं0 80/2 का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, खातेदार भगवती पति संतराम जाति कोलता एव आवेदक सेवती पति संतराम जाति कोलता दोनो ग्राम केराबहार, तहसील- लैलुंगा के निवासी है अतः भगवती के वरिसानों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। अतः उक्त आवेदन के संबंध में निराकरण न्यायालय में किया जाना उचित होगा। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

13. आपत्तिकर्ता श्री कुशकुमार पिता अशोक जाति धोबा द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. आवेदक द्वारा क्रय करने के कारण मुआवजा आवेदक के नाम पर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री कुशकुमार पिता अशोक जाति धोबा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त। उक्त भूमि का नामान्तरण प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

14. आपत्तिकर्ता श्री लवकुमार पिता अशोक जाति धोबा द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. आवेदक द्वारा क्रय करने के कारण मुआवजा आवेदक के नाम पर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री लवकुमार पिता अशोक जाति धोबा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त भूमि का नामान्तरण प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

15. आपत्तिकर्ता श्री भीमसेन पिता जगनु जाति धोबा द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. आवेदक द्वारा क्रय करने के कारण मुआवजा आवेदक के नाम पर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री भिमसेन पिता जगनु जाति धोबा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त भूमि का नामान्तरण प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

16. आपत्तिकर्ता श्रीमती पुष्पा पति भिमसेन जाति धोबा द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. आवेदक द्वारा क्रय करने के कारण मुआवजा आवेदक के नाम पर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्रीमती पुष्पा पति भिमसेन जाति धोबा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त भूमि का नामान्तरण प्रकरण तहसीलदार रायगढ़ न्यायालय में विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

17. आपत्तिकर्ता श्रीमती रूकमणी पिता अशोक जाति धोबा द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. आवेदक द्वारा क्रय करने के कारण मुआवजा आवेदक के नाम पर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्रीमती रूक्मणी पिता अशोक जाति धोबा भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 79 से रकबा 0.020 हे. का मौका जांच पंचनामा एवं पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त भूमि का नामान्तरण प्रकरण तहसील न्यायालय में विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन से सहमत न्यायालय के निर्णय के पश्चता भू-अर्जन की मुआवजा राशि देय होगा।

18. आपत्तिकर्ता श्री गोपीनाथ पिता रामेश्वर जाति बानी एवं अन्य 7 द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 558/1 से रकबा 0.405 हे.उक्त भूमि पैतृक होने से एवं पंजीकृत बटवारा होने से आवेदक गणों के नाम से अलग अलग मुआवजा राशि निर्धारित कर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री गोपीनाथ पिता रामेश्वर जाति बानी एवं अन्य 7 खसरा नं. 558/1 से रकबा 0.405 हे का पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त संबंध में वर्तमान अभिलेख में न्यायालय तहसीलदार महोदय रायगढ़ के आदेशानुसार एक ही खाता के रूप में दर्ज है। तहसीलदार रायगढ़ के जांच प्रतिवेदन से सहमत खसरा नं. 558/1 रकबा 0.405 हे. भूमि का अभिलेख में दर्ज अनुसार मुआवजा प्रदाय किया जावे।

19. आपत्तिकर्ता श्री जेठु पिता पितरू जाति कंवर एवं अन्य 4 द्वारा आपत्ति की गई है कि भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 566 से रकबा 0.277 हे.उक्त भूमि पैतृक होने से एवं पंजीकृत बटवारा होने से आवेदक गणों के नाम से अलग अलग मुआवजा राशि निर्धारित कर प्रदाय किया जावे।

तहसीलदार रायगढ़ एवं हल्का पटवारी के जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम पतरापाली प0ह0नं0 36 रा0नि0म0 रायगढ़ 01 तह व जिला रायगढ़ के आवेदक श्री जेठु पिता पितरू जाति कंवर एवं अन्य 4 खसरा नं. 566 से रकबा 0.277 हे.का पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त, उक्त संबंध में वर्तमान अभिलेख में तहसीलदार महोदय रायगढ़ के आदेशानुसार एक ही खाता के रूप में दर्ज है। तहसीलदार रायगढ़ के जांच प्रतिवेदन से सहमत खसरा नं. 566 रकबा 0.277 हे. भूमि का अभिलेख में दर्ज अनुसार मुआवजा प्रदाय किया जावे।

(6) उपरोक्त अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में स्थल जांच पंचनामा एवं प्रतिवेदन दिनाँक 23/09/2016 के साथ आवेदक निकाय, एवं तहसीलदार रायगढ़ की ओर से राजस्व निरीक्षक, हल्का पटवारी द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों का नियमानुसार निर्धारित मापदंण्ड के अनुसार मुआवजा का गणना पत्रक-भाग-1 क, ख, ग, घ तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जो आदेश का अंग है।

(7) अर्जित की जा रही भूमि का उप पंजीयक, रायगढ़ द्वारा प्राप्त केन्द्रीय मूल्याँकन बोर्ड, रायपुर द्वारा अनुमोदित गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर तथा आदर्श पुनर्वास नीति (संशोधित) की दर से तुलना में भूमि का गाईड लाईन की दर देय मुआवजा अधिक होने के फलस्वरूप गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर के अनुरूप निर्धारण किया गया है।

भूमि का प्रकार	गाईड लाईन वर्ष 2015-16 की दर प्रति हेक्टेयर में.	बिक्री छांट के अनुसार दर प्रति वर्ग हेक्टेयर में.	पुर्नवास नीति के अनुसार दर प्रति एकड़
असिंचित खार	1342000	1242644	800000/-
असिंचित खार (सड़क से लगी)	2832000	--	800000/-

(क) भूमि का मुआवजा –

क्र.	अधिग्रहित भूमि का प्रकार	रकबा हे.	गाईड लाईन के अनुसार कुल मुआवजा राशि	बिक्री छांट के दर से कुल मुआवजा राशि	पुनर्वास नीति की दर से कुल मुआवजा की राशि	देय मुआवजा
1	खार असिंचित	6.243	34769138	7757827	12341162	34769138
2	असिंचित खार (सड़क से लगी)	0.160	1880448	198823	316288	1880448
	योग	6.403	36649586	7956650	12657450	36649586

(ख) अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मुआवजा – निरंक
(ग) अर्जित भूमि पर स्थित वृक्षों का मुआवजा – रू. 506143/-
(घ) भूमि परिसंपत्तियों तथा वृक्षों का मुआवजा (क+ख+ग का योग) रू.37155729/-

(8) प्रकरण मे भू-अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत पुनर्वासन तथा पुनर्ब्यवस्थापन मुआवजा गणना प्रपत्र तैयार कराया जा चुका है। पुर्नवास प्रतिवेदन तैयार कराने एवं पुर्नवास अवार्ड पारित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

(9) तद्नुसार महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण के लिये ग्राम की अधिग्रहित निजी भूमि कुल खसरां नं. 65 कुल रकबा 6.403 हे. भूमि तथा भूमि पर स्थित वृक्षों का कुल मुआवजा राशि रूपये 37155729/- (अक्षंराक तीन करोड़ इक्हत्तर लाख पचपन हजार सात सौ उन्नतीस रूपये मात्र) परिगणित होता है तथा भूमि तथा भूमि पर स्थित परिसंपति का मुआवजा गणना पत्रक-भाग-1 क,ख,ग,घ अवार्ड आदेश का अंग माना जावे। महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार अर्जित की जा रही भूमि का मुआवजा राशि छ.ग.शासन राजस्व एवं प्रबंधन विभाग का पत्र क्रमांक एफ -4-03/सात-1/2014 रायपुर दिनांक 24.02.2014 कलेक्टर रायगढ़ के पत्र क्रमांक 1539/भू-अर्जन /2014 दिनांक 28.02. 2014 एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के अधिसूचना क्र. एफ-4-28/सात-1/ 2014/दिनांक 04.12.2014 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार गाईड -लाईन वर्ष 2015-16 की दर एवं छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति 2007 (संशोधित) दर से तुलना कर गाईड-लाईन वर्ष 2015-16 की दर अधिक होने के कारण गाइड लाइन की दर से अधिकतम देय मुआवजा की परिगणना की गई है।

तद्नुसार प्रकरण में अवार्ड आदेश पारित किया जाता है।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)रायगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

पृ.क्रमांक 149 /भू-अर्जन/2017, रायगढ़ दिनांक 24-01-2017

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) रायगढ़ को सादर सूचनार्थ संप्रेषित। निवेदन है कि प्रकरण में पारित अवार्ड मुआवजा राशि रूपये 37155729/- (अक्षंराक तीन करोड़ इक्हत्तर लाख पचपन हजार सात सौ उन्नतीस रूपये मात्र) प्रदाय करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबंधक एनटीपीसी तलाईपाली कोल माईनिंग परियोजना घरघोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आप कृपया पारित अवार्ड आदेश की प्रति संबंधित भूमि स्वामी को उपलब्ध करावें। तथा पुनर्वास प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
4. उप पंजीयक रायगढ़ को सूचनार्थ अग्रेषित।
5. तहसीलदार रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित।
6. राजस्व निरीक्षक रा.नि.मं. रायगढ़ को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।
7. प.ह.न. 36 को अभिलेख दुरूस्ती हेतु अग्रेषित ।

भू-अर्जन अधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)